



कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ़

website- <http://uppolice.gov.in>

E-mail- spazh-up@nic.in

proazh@gmail.com

पत्र सं.- 290/22

दिनांक- 03-सितम्बर-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने चेन स्नेचर गिरोह के सदस्य पर 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया

➡ अभियुक्त मोती जायसवाल पुत्र धनी जायसवाल निवासी पचहटिया थाना लाईन बाजार जनपद जौनपुर कोतवाली आजमगढ़ में पंजीकृत मु.अ.सं. 265/22 धारा 392/411/413/414/216ए IPC से सम्बन्धित मुकदमें में वांछित है।

➡ दिनांक 09.06.2022 को कठवा पुल, समीप बागेश्वर, थानाक्षेत्र कोतवाली के पास से सुबह मार्निंग वाक पर गयी महिलाओं के गले से सोने की चेन छीनकर भाग जाने वाले अभियुक्त सुमित उपाध्याय का साथी है जो छिनी हुई चेन को खरीदता व बेचता है तथा सुमित को छिपाने में मदद करता था।

➡ यह दिनांक 29.08.2022 को कोतवाली पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार/घायल 25000/- इनामिया अभियुक्त सुमित उपाध्याय का सहयोगी है तथा छिनी/लूट के आभूषणों को खरीदारी/बिक्री करता है।

➡ इसके द्वारा जनपद में व जनपद के बाहर अन्य आपराधिक घटनाओं से सम्बन्धित सोने की चेन की खरीदारी व बिक्री की गयी है जिसमें उपरोक्त अभियुक्त मोती जायसवाल का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया है।

थाना- निजामाबाद

मुकदमे मे प्रकाश मे आयी वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

1-पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – दिनांक 05.08.22 को वादिनी / पीडिता द्वारा खुद के साथ लगभग 5 वर्ष पूर्व से बहला फुसला कर शादी का झाँसा देकर अभियुक्त राजू पुत्र सन्तलाल निवासी ग्राम खानकाह थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा गलत सम्बन्ध बनाने की बात को लेकर मु0अ0स0 337/22 धारा 376,323,504,506 भादवि पंजीकृत करवाया गया। विवेचना से 3/4 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

2. गिरफ्तारी का विवरण – प्राप्त सूचना के अनुसार निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में प्रकाश में आयी अभियुक्ता पार्वती देवी पत्नी सन्तलाल निवासी निकामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ परसहां मोड पर मौजूद है कि मय हमराही कर्म0गण की मदद से अभियुक्ता श्रीमती पार्वती देवी उपरोक्त को समय लगभग 10.30 बजे कारण गिरफ्तारी बताकर म0का0 सोनल रस्तोगी के मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0स0 337/22 धारा 376,323,504,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास – उपरोक्त अभियोग

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. पार्वती देवी पत्नी सन्तलाल निवासी निकामुद्दीनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक अशोक दत्त त्रिपाठी थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. का0 शेखवात अली थाना निजामाबाद आजमगढ़
3. का0 तरुण पाण्डेय थाना निजामाबाद आजमगढ़
4. का0 कमलेश कुमार थाना निजामाबाद आजमगढ़
5. म0का0 सोनल रस्तोगी थाना निजामाबाद आजमगढ़